न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 16/2021

प्रार्थीगण :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 आईचुकी देवी पत्नि स्व0 अमानराम जाति देवासी नि0 खामल, तह0 सोजत, जिला पाली।	1	सारकी देवी पत्नि आदूराम जाति राईका, नि0 खामल, तह0 सोजत, जिला पाली।
2 घासीराम	2	तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत
3 शैतान		
4 रामलाल		
5 गोरधन पिसरान स्व0 अमानराम जाति देवासी नि0 खामल, तह0 सोजत, जिला पाली।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार, सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 25.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा खामल पटवार हल्का खामल भू0अभि0नि0 क्षेत्र शिवपुरा, तहसील सोजत, जिला पाली में सेटलैन्ट से पूर्व पुराने खसरा संख्या 202/9 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी प्रथम तथा खसरा संख्या 222/7 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 02 कुल रकबा 20 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक मालिकाना, हक हकूक खातेदारी कब्जाकाश्त सुदा स्थित है। जिस भूमि पर प्रार्थीगण के दादा बसीया उर्फ बचनाराम पुत्र अचलाराम का 1/2 हिस्सा हक, खातेदारी कब्जा काश्त का आता था। स्व0 अचलाराम की वंशावली अनुसार हापुराम, वचनाराम उर्फ बसीया पि0 स्व0 अचलाराम, आदूराम (फौत) पि0 हापुराम, सारकी देवी पत्नि आदूराम (फौत), अमानराम, गोकलराम पि0 वचनाराम उर्फ बसीया, आईचुकी पत्नि अमानराम, घासीराम, शैतान, रामलाल, गोरधन पि0 आईचुकी, उपरोक्त वंशावली के अलावा अचलाराम के कोई अन्य विधिक उतराधिकारी नहीं है तथा स्व0 वचनाराम के पुत्र गोकुलराम का लाऔलाद निवर्सीयती स्वर्गवास हो चुका है जिनके एकमात्र विधिक उतराधिकारी प्रार्थीगण है जिनके अलावा गोकलराम के कोई अन्य विधिक उतराधिकारी नहीं है। दौराने सैटलमेंट ग्राम खामल के पुराने खसरा नंबर 202 मीन से नये खसरा संख्या 460, 463, 464, 467 कुल रकबा 15.5900 हैक्टर बने तथा पुराने खसरा नंबर 222 मीन से वर्तमान खसरा खाता संख्या 580, 581 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3600 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के दादा एवं अप्रार्थी सांख्या 1 के पति आदूराम ने अपने जीवनकाल के अंदर उपरोक्त कृषि भूमि का दौराने सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष रूबरू उपस्थित होकर पारिवारिक बंटवाडा कर पुराने खसरा नंबर 202/9 अप्रार्थी संख्या 1 के पति आदूराम के हिस्से में तथा पुराने खसरा संख्या 222/7 (नये खसरा नंबर 580 व 581) प्रार्थीगण के दादा वचनाराम उर्फ बसीया के हक हिस्से के अंदर रखी गई उसी पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है व बिना किसी बाधा के अड़चन के कदीमी रूप से उपयोग, उपभोग करते आ रहे है। दौराने सेटलमेंट अधिकारीयो द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के परे जाते हुए उक्त उपसूर्व में हुए पारिवारिक बंटवाड़े के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी में नाम दर्ज किया

Scanned with CamScanner

जाना चाहिए था यानि खसरा संख्या 202 मीन से वर्तमान 460, 463, 464, 465, 467 कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के पति आदूराम का नाम दर्ज किया तथा खसरा संख्या 222 मीन से बने वर्तमान खसरा संख्या 580, 581 में प्रार्थीगण के दादा बसीया उर्फ वचनाराम पुत्र अचलाराम का नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा न कर ग़लती व त्रुटिवश वादग्रस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता अमानाराम व काका गोकलराम के साथ अप्रार्थी संख्या 1 नाम खातेदारी में पुनः दर्ज कर दिया जबकि वादग्रस्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त नहीं आता है। पारिवारिक बंटवाडे के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से में आई हुई कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 460, 463, 464, 465, 467 कुल रकबा 15.5900 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/10 हिस्सा अन्य खातेदारों को जरिए रजिस्टर्ड बेचान रजिस्ट्री द्वारा बेचान कर सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्राप्त कर ली इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में बेचान, हस्तान्तरण की जा चुकी है उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्थ कृषि भूमि में किसी प्रकार कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहता है। उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि को हडपने के आशय से अपने हक हिस्से से ज्यादा कृषि भूमि का बेचान, हस्तान्तरण अन्यत्र किसी व्यक्ति को करने पर अमादा है। प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक है। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से सहित कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तानान्तरण, बक्शीश, रहन, वसीयत आदि कर देते है, तो प्रार्थीगण को अपूर्ण क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन कदापि रूपयों में नही आका जा सकता है, इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार, सोजत द्वारा जबाब प्रा० पत्र प्रस्तुत कर पैरा संख्या 1 कानूनी, 2 से 3 व 5 से 6 स्वयं साबित करने का अंकन करते हुए पैरा संख्या 4 में खसरा संख्या 580, 581 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3600 हैक्टर ग्राम खामल में होना स्वीकार किया है। अन्य पैरा कानूनी होना अंकित किया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी, तहसीलदार, सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अप्रार्थी सख्या 1 के पति आदूराम का नाम गलती से दर्ज कर दिया गया। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के 1/2 हिस्से को बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिसे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने निवेदन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विधि अनुरूप निर्णय पारित किये जाने में कोई आपति नही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात, का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रा० पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वरा सेटलमेन्ट अधिकारीयों के समक्ष रूबरू उपस्थित होकर जिस पारिवारिक बंटवाडे का जिक्र किया है उससे संबंधित किसी भी दस्तावेजात को पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है। जिससे पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होकर अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तिनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारिज यौग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझता है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का तथ्यहीन, सारहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमीन जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner